.2-21	दावा पत्र/ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR Act द्वारा वकील श्री ओम प्रकाश गुर्जर पेश किया गया। सरिस्ता रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु तलब किया जाकर दि० 27.4.21 को पेश हो।	
27/4/21	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान ... अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/ अन्य ... तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 13/5/21 को पेश हो।	
13-5-21	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/ अन्य राजकार्य में तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 24.8.21 को पेश हो।	
24.8.21	वकील प्रार्थी उपस्थित है। तहसीलदार नैनवां को जवाब हेतु पत्र लिखा जाकर पत्रावली दि० 1.12.21 को पेश हो।	प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 केम्प कोर्ट नोटिस जारी
22.11.21	पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत केम्प कोर्ट आंतरदा में आज पेश हुई। पक्षकारान के नोटिस बाद तामील संलग्न है। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार नन्दलाल एवं नन्दकिशोर एक ही व्यक्ति के नाम है, जिसके पिता का नाम बिरधीलाल है। जाति महाजन है। अतः नन्दलाल पुत्र बिरधीलाल के स्थान पर नन्दकिशोर पुत्र बिरधीलाल जाति महाजन किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थना पत्र, शपथ-पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज, रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां	

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:39:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
	का अवलोकन किया। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि नन्दलाल व नन्दकिशोर एक ही व्यक्ति है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। बहस प्रार्थना पत्र उपस्थित पक्षकारान सुनी गई। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम आंतरदा पटवार मण्डल आंतरदा तहसील नैनवां की जमाबंदी संवत 2075-77 के खाता सं. नया 132 के खसरा से. 1458/7.0700, 1460/14.1900, 1461/0.0400 कुलकिता 03 कुल रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा तथा ग्राम संग्रामगंज पटवार हल्का आंतरदा की जमाबंदी संवत 2075-77 के खाता सं. नया 41 के खसरा सं. 189 रकबा 10-02 बीघा भूमि पर दर्ज "नन्दलाल पि० बिरधीलाल" के स्थान पर "नन्दकिशोर पु० बिरधीलाल" दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:39:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner